STATUS REPORT

Sub: Order passed by Hon'ble NGT on dated: 29.08.2019 in case MA No. 203/2019

In compliance to the order passed by Hon'ble NGT on dated: 29.08.2019 in case MA No. 203/2019 undersigned is directed by the State Board Head Office through letter dated: 05.09.2019 to carry out inspection jointly with wetland Authority & submit the required report to Hon'ble NGT. So undersigned Officers visited the said STP site at Yadgar-e-Shahjahani Park on dated: 11.09.2019. During inspection the applicant Mr. Abdul Jabbar Officers of Municipal Corporation, Mr. Rakesh Kumar Gupta (Deputy City Engineer) & Ms. Shalini Singh (AE) along with Project Development Management consultant company WAPCOS Ltd., Civil Engineer Mr. Ankit Joshi were present at the site.

OBSERVATIONS

(1) The piece of land demarked by BMC for STP construction and solid waste transfer station are situated more than 100 meter distance from lower lake boundary (Bhoj Wetland – Ramsar site) in down catchment direction.

(2) Construction of STP at Yadgar-e-Shahjahani Park site was not carried out on inspection day. But laying of foundation work was seen at site. STP site is well inside the old and well known Yadgar-e-Shahjahani Park premises. Photographs enclosed (Annexure – 1)

(3) Bhopal Municipal Corporation also established one of its city solid waste Transfer station adjacent to this STP site.

(4) Construction of STP attract the mandatory provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974, but BMC not obtained the consent to establish from M.P. Pollution Control Board under section 25 of the Water Act.

(5) M.P. Pollution Control Board have issued letter to Bhopal Municipal Corporation on dated: 25.09.2019, 19.08.2019 & 11.06.2019 with instruction not to install STP at Yadgar-e-Shahjahani Park premises and to stop the construction activity there (Annexure – 2, 3 & 4).

The above report is prepared for submission to Hon'ble NGT.

Vipat
27.9.19

(Dr. Vinita Vipat)
Chief Scientific Officer EPCO, Bhopal
& Officer In-charge State Wetland Authority

(A.A. Mishra)
Regional Officer
MPPCB, Bhopal

Annexure-2

क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

Phone -0755-2466392, Fax- 0755- 4278342 E-Mail- romppcb_bpl@rediffmail.com

क्रमांक 5617 /क्षेका/प्रनिबो/फाईल नं. G-3 भोपाल, दिनांक 25/9/19

प्रति,

नगर यंत्री
सीवेज (अमृत)
कार्यालय नगर पालिक निगम
भोपाल (म.प्र.)

विषयः– यादगार–ए–शाहजहांनी पार्क भोपाल में निर्माणाधीन एसटीपी के निर्माण का कार्य बंद करने बावत्।

संदर्भः– माननीय् राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिंपल बैंच नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण एम.ए. 203/2019 में दिनांक 29.08.2019 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में एसटीपी स्थल का निरीक्षण दिनांक 11.09.2019।

माननीय् राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिंपल बैंच नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण एम.ए. 203/2019 में दिनांक 29.08.2019 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल एवं एप्को के अधिकारियों के दल द्वारा यादगार–ए–शाहजहांनी पार्क भोपाल में निर्माणाधीन एसटीपी स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण पर पाया गया की आपके द्वारा पार्क परिसर के अन्दर ही एसटीपी के निर्माण की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। आपके द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के अन्तर्गत स्थापना की सम्मति भी बोर्ड से प्राप्त नही की गई है। बोर्ड की सम्मति के बिना एसटीपी का निर्माण कार्य प्रारंभ करना जल अधिनियम की धारा 25 का उल्लंघन है। इस कार्यालय द्वारा दिनांक 19.08.2019 एवं 11.06.2019 को नगर निगम को कारण बताओं सूचना पत्र भी जारी किया गया है। अतः आपको पुनः से निर्देशित किया जाता है कि यादगार–ए–शाहजहांनी पार्क में एसटीपी की स्थापना से संबंधित निर्माण कार्य तत्काल बंद कर देवें तथा बोर्ड से सम्मति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण कार्य किया जावें।

निर्माण के दौरान नगर निगम से उपस्थित डिप्टी सिटी इंजीनियर द्वारा वर्तमान स्थल पर एसटीपी के निर्माण की योजना रद्द कर दिये जाने की मौखिक जानकारी निरीक्षण दल को दी गई है। किन्तु इस संबंध में लिखित में कोई भी पत्र इस कार्यालय को प्राप्त नही हुआ है। कृपया इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुये तत्काल इस कार्यालय को अवगत करावें।

O/C

(ए.ए. मिश्रा)
RM क्षेत्रीय अधिकारी

पृ. क्रमांक 5618 /क्षेका/प्रनिबो/फाईल नं.G-3 भोपाल, दिनांक 25/9/19

प्रतिलिपिः–

आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

O/C

(ए.ए. मिश्रा)
RM क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-3

क्षेत्रीय कार्यालय
स्मरण पत्र।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर,ई–5,अरेरा कॉलोनी,भोपाल

Telephone:- 0755-2466392 Email:-romppcb_bpl@rediffmail.com

क्रमांक 4796 /क्षेकां/प्रनिबो/ G- F/STP -03/2019 भोपाल,दिनांक 19/8 /2019

प्रति,

1. नगर यंत्री,
   सीवेज प्रकोष्ठ (अमृत),
   नगर निगम भोपाल।
2. मेसर्स अंकिता कंस्ट्रक्शन,
   द्वारा प्रोजेक्ट इंजीनियर
   टुलिप–541, मीनाल रेसीडेंसी के पास,
   जे.के. रोड़, गोविन्दपुरा, भोपाल।

विषयः– जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के प्रावधानों के तहत् बोर्ड से सीवेज उपचार संयत्र की स्थापना हेतु सम्मति प्राप्त किये बिना ही एसटीपी का निर्माण करने बावत् कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र क्रंमाक 3734 दिनांक 11.06.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के संदर्भित नोटिस का कृपया अवलोकन करे नोटिस के परिपालन नगर निगम द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तथा आपको पुनः सूचना दी जाती हैः–

1. यह कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के प्रावधानों के अन्तर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना हेतु बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना अनिवार्य है।
2. यह कि बोर्ड को प्राप्त जानकारी अनुसार नगर निगम भोपाल द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत निम्नानुसार 11 नये एस.टी.पी. का निर्माण कियां जा रहा है।

- जमोनियाछीर एस.टी.पी. (3.50 एम.एल.डी.)
- यादगार–ए–शाहजहांनी पार्क (3.50 एम.एल.डी.)
- बंसल हॉस्पिटल के पीछे, चूना भट्‌टी (9.50 एम.एल.डी.)
- चार ईमली (4.50 एम.एल.डी.)
- सूरज नगर (2.00 एम.एल.डी.)
- नीलबड़ (6.00 एम.एल.डी.)
- सनखेड़ी (32 एम.एल.डी.)

❖ मिसरोद (20.50 एम.एल.डी.)
❖ शिरीन नदी (5.00 एम.एल.डी.)
❖ माहोली दामखेड़ा (35 एम.एल.डी.)
❖ प्रोफेसर कालोनी (2.00 एम.एल.डी.)

3. यह कि नगर निगम भोपाल द्वारा बोर्ड से स्थापना की सम्मति प्राप्त किये बिना ही उपरोक्त बिन्दु 2 में वर्णित स्थानों पर एस.टी.पी. के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है जो कि जल एवं वायु अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन होकर जल अधिनियम की धारा 44 एवं वायु अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत एक दंडनीय अपराध है।

अतः कारण बतावें की क्यों ना नगर निगम भोपाल एवं निर्माणकर्ता एजेंसी मेसर्स अंकिता कंस्ट्रक्शन के कर्ताधर्ताओं के विरूद्ध बोर्ड की सहमति बिना एस.टी.पी. का निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु जिम्मेदार होने के कारण वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ की जावें। साथ ही आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल एस.टी.पी. का निर्माण कार्य बंद कर देवें तथा बोर्ड से एस.टी.पी. निर्माण सम्मति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें तथा सम्मति प्राप्त होने के उपरांत ही निर्माण कार्य किया जावें। उपरोक्त एस.टी.पी के पूर्ण होने की टारगेट डेट से भी कार्यालय को अवगत करावें।

कृपया इस सूचना पत्र के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर निर्देशित कार्यवाही कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अपना प्रत्युतर प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में प्रत्युतर प्राप्त ना होने अथवा संतोषजनक ना पाये जाने पर बोर्ड आपके एवं उद्योग के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु स्वंतत्र होगा।

(ए.ए. मिश्रा)
o/c क्षेत्रीय अधिकारी

क्रमांक 4797/क्षेका/प्रनिबो/ G- F/STP -03/2019 भोपाल,दिनांक 19/ 8 /2019
प्रतिलिपिः—

1. आयुक्त नगर निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. आयुक्त, संचालनालय नगरीय एवं प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. श्री एच.एस.मालवीय, अधीक्षण यंत्री, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(ए.ए. मिश्रा)
o/c क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-4

क्षेत्रीय कार्यालय

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर,ई–5,अरेरा कॉलोनी,भोपाल

Phone -0755-2466392, Fax- 0755- 4278342 E-Mail- romppcb_bpl@rediffmail.com

कमांक 3734 / क्षेका / प्रनिबो / 2019 भोपाल, दिनांक 11/6 / 2019

प्रति,

1. नगर यंत्री
सीवेज प्रकोष्ठ (अमृत)
नगर निगम भोपाल

2. मेसर्स अंकिता कंसट्रक्शन
द्वारा प्रोजेक्ट इंजीनियर
टुलिप–541, मीनाल रेसीडेंसी के पास
जे.के. रोड़, गोविंदपुरा भोपाल

विषयः– जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के प्रावधानों के तहत् बोर्ड से सीवेज उपचार संयंत्र की स्थापना हेतु सम्मति प्राप्त किये बिना ही एसटीपी का निर्माण करने बावत् कारण बताओं सूचना पत्र।

क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि –

1. यह कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के प्रावधानों के अन्तर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना हेतु बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना अनिवार्य है।

2. यह कि बोर्ड को प्राप्त जानकारी अनुसार नगर निगम भोपाल द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत निम्नानुसार 11 नये एसटीपी का निर्माण किया जा रहा है –

- जमोनियाछीर एसटीपी (3.50 एम.एल.डी.)
- यादगार–ए–शाहजहांनी पार्क (3.50 एम.एल.डी.)
- बंसल हास्पिटल के पीछ, चूना भट्टी (9.50 एम.एल.डी.)
- चार इमली (4.50 एम.एल.डी.)
- सूरज नगर (2.00 एम.एल.डी.)
- नीलबड़ (6.00 एम.एल.डी.)
- सनखेड़ी (32 एम.एल.डी.)
- मिसरोद (20.50 एम.एल.डी.)
- शिरीन नदी (5.00 एम.एल.डी.)
- माहोली दामखेड़ा (35 एम.एल.डी.)
- प्रोफेसर कालोनी (2.00 एम.एल.डी.)

निरंतर- -

उपरोक्त बिन्दु 2 में वर्णित स्थानों पर एसटीपी के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया हैं जो कि जल एवं वायु अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन होकर जल अधिनियम की धारा 44 एवं वायु अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत एक दंडनीय अपराध है।

अतः कारण बतावें की क्यों ना नगर निगम भोपाल एवं निर्माणकर्ता एजेंसी मेसर्स अंकिता कंसट्रक्शन के कर्ताधर्ताओं के विरूद्ध बोर्ड की सम्मति बिना एसटीपी का निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु जिम्मेदार होने के कारण वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ की जावें। साथ ही आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल एसटीपी का निर्माण कार्य बंद कर देवें तथा बोर्ड से एसटीपी निर्माण हेतु सम्मति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें तथा सम्मति प्राप्त होने के उपरांत ही निर्माण कार्य किया जावें।

कृपया इस सूचना पत्र के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर निर्देशित कार्यवाही कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अपना प्रत्युतर प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में प्रत्युतर प्राप्त ना होने अथवा संतोषजनक ना पाये जाने पर बोर्ड आपके एवं उद्योग के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।

O/C

(डॉ. पुष्पेंद्र सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ.क्रमांक 3735 / क्षेका / प्रनिबो / 2019 — भोपाल, दिनांक 11/6/2019

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. आयुक्त, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

O/C

(डॉ. पुष्पेंद्र सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

Photographs showing various establishments around Yadgar-e-Shahjahani Park

Photographs showing various establishments around Yadgar-e-Shahjahani Park

Inspection team during visit to Yadgar-e-Shahjahani Park
Date 11 Sep. 2019

Annexure -1